



# आयुष्मान् भारत "निरामयम्" मध्यप्रदेश

(दीन दयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद्)

आई.ई.सी. ब्यूरो, प्रथम तल, जे.पी. अस्पताल परिसर, भोपाल



क्रमांक/ए.एस./ए.बी./2020/683

भोपाल, दिनांक 10/08/2020

## ❖ आदेश ❖

आयुष्मान् भारत "निरामयम्" योजनान्तर्गत सम्बद्धित निजी चिकित्सालय को सूचित किया जाता है कि क्लैम संबंधी शिकायतों के निराकरण हेतु निजी चिकित्सालय आयुष्मान् भारत की शिकायत संबंधी अधिकारिक बेवसाइट पर क्लैम स्वीकृत/अस्वीकृत (CPD Approved/Reject) दिनांक से अधिकतम 90 दिनों में अपना प्रकरण पंजीकृत कर सकते हैं।

शिकायत हेतु अधिकारिक बेवसाइट – <https://cgrms.pmjay.gov.in/GRMS/loginnew.htm>

राज्य स्वास्थ्य एजेन्सी द्वारा पोर्टल पर पंजीकृत शिकायतों पर ही विचार किया जायेगा।

आदेश तत्काल प्रभाव से लागू।



(सपना एम. लोवंशी)

कार्यपालन अधिकारी

आयुष्मान् भारत "निरामयम्"  
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/सी.ई.ओ./ए.बी./2020/684

भोपाल, दिनांक 10/08/2020

प्रतिलिपि:—सूचनार्थ :-

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल म.प्र.
2. आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
5. कार्यपालन अधिकारी, आयुष्मान् भारत "निरामयम्" म.प्र.।
6. महाप्रबंधक (ऑपरेशन) आयुष्मान् भारत "निरामयम्" म.प्र.।
7. वित्त अधिकारी, आयुष्मान् भारत "निरामयम्" म.प्र.।
8. समस्त संभाग प्रभारी अधिकारी की ओर पालनार्थ।



कार्यपालन अधिकारी

आयुष्मान् भारत "निरामयम्"  
मध्यप्रदेश